उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या- 53/2015/375(2)/38-1-2015-02 पदोन्नति/2013
लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2015

<u>विज्ञप्ति/पदोन्नति</u>

विज्ञप्ति/पदोन्नति विषयक आदेश संख्या:-1400/38-1-2013-3पदोन्नति/2012, दिनांक 21.05.2013 द्वारा वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 6600 में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत श्री प्रमोद सिंह चन्दौल, खण्ड विकास अधिकारी, जालौन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त/उपायुक्त(श्रम/स्वत: रोजगार) (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 6600) के पद पर नियमित पदोन्नति के सहर्ष आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- वेतनमान के अनुरूप उक्त चिन्हित तथा रिक्त पद के सापेक्ष श्री चन्दौल की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री चन्दौल अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेगे।

3- उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) के नियम-20 के अनुसार श्री चन्दौल 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

अरूण सिघल
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-53/2015/375(2) (1)/38-1-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(4) मण्डलायुक्त, झांसी ।
(5) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जालौन ।
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन ।
(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, जालौन ।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in